एक्सप्रेसवे के किनारे के सेक्टरों में विकास को मिलेगी रफ्तार

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी, बढ़ेगा औद्योगिक विकास और निवेश

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ग्रेनो एक्सप्रेसवे किनारे के सेक्टरों की अधिकतर परियोजनाओं को मंजूरी मिली। अब इन सेक्टरों में विकास कार्य तेजी से होंगे। औद्योगिक विकास और निवेश भी बढ़ेगा।

बिजली व्यवस्था के लिए बने मास्टर प्लान-2031 के मुताबिक शहर में 3 नए ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाए जाने हैं। प्राधिकरण ने 2019 में फैसला लिया था कि ये उपकेंद्र प्राधिकरण खुद के खर्च से नहीं बनवाएगा। अब प्रमुख सचिव ऊर्जा के वर्ष 2020 के पत्र का हवाला देकर प्राधिकरण ने उपकेंद्र बनाने की मंजूरी ली है। 220 केवीए क्षमता के ये उपकेंद्र सेक्टर-155, 138 और 83 में बनाए जाने हैं। एक उपकेंद्र पर लागत करीब 105 करोड़ रुपये अनुमानित है। इनके बनने से शहर की ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ेगी। बिजली सप्लाई व्यवस्था बेहतर होगी।

सेक्टर-145 में होगा विकास

- सेक्टर-145 में पिछले दिनों प्राधिकरण ने 31 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा लिया था। इस जमीन और आसपास के भूखंड पर विकास के लिए तैयार तैयार को मंजूरी मिल गई है। इसमें 63.44 करोड़ से नाला और पुलिया व करीब 36.50 करोड़ से सड़क का निर्माण होगा। 9.85 करोड़ से सीवेज पंपिंग स्टेशन व लाइन बिछाई जाएगी। विद्युत यांत्रिक विभाग 14 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट और बिजली लाइन बिछाएगा।

नोएडा। (फाइल)

चार ग्रुप हाउसिंग को पुनर्वास पैकेज, एक को जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ

बिल्डर-खरीदार मुद्दे पर बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आई जीरो पीरियड पॉलिसी की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। इसमें बताया गया कि भी तक 34 परियोजनाओं के बिल्डरों ने 518 और 13 परियोजना के बिल्डरों ने 25 करोड़ रुपये जमा किए हैं। परियोजनाओं में अभी तक 4,777 फ्लैट की रजिस्ट्री हो जानी चाहिए थी, जिनमें से अभी तक 3,125 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। बोर्ड ने सेक्टर-100 के प्लॉट नंबर-2 के आवंटी, क्लाउड 9 प्रोजेक्ट प्रा.लि. को जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ देने की मंजूरी दी। शर्त रखी कि पैकेज का फायदा तभी दिया जाएगा जब बिल्डर एनसीएलटी व अन्य जगह से केस वापस लेगा।

इसके अलावा ग्रुप सुपरटेक की ईको सिटी, केपटाउन व रोमानो और अजनारा की एंब्रोसिया परियोजना को पुनर्वास पैकेज देने के प्रस्ताव को भी सशर्त मंजूरी मिली। अब इनमें को-डेवलपर आ सकेगा। इससे करीब 3 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होने की उम्मीद है। परियोजनाओं में प्राधिकरण का करीब 1500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फायदा तभी दिया जाएगा जब, मूल आवंटी कुल बकाये में से 25 प्रतिशत राशि जमा करेगा। शर्त रखी गई है कि बिल्डर बकाये का 25 प्रतिशत जमा करेंगे व कोर्ट केस व अन्य केस समाप्त करेंगे।

बोर्ड बैठक की अहम बातें

बोर्ड बैठक में मौजूद अधिकारी। स्रोत : प्राधिकरण

- सेक्टर-164 को मोबाइल और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से संबंधित प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई। यहां 6 बड़े प्लॉट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।
- आईटी कंपनियों, कॉरपोरेट ऑफिस और आईटी इंस्टीट्यूट में 500 वर्ग मीटर से कम जगह भी किराये पर दी जा सकेगी। इसके प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी।
- आवासीय और औद्योगिक प्लॉट पर वाणिज्यिक गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए बनी मिक्स लैंड यूज पॉलिसी में बदलाव कर सेक्टर के आवासीय या औद्योगिक व वाणिज्यिक दरों के अंतर के 10 प्रतिशत लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली।
- प्राधिकरण जल्द औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड एवं ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना लाएगा। यूनिफाइड पॉलिसी के जरिये आवंटन के लिए बने इन प्रस्तावित योजनाओं के ब्रोशर को प्राधिकरण के बोर्ड ने मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि योजनाओं को महीनेभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। आवंटन ई-नीलामी के जरिये होगा।